संख्या-4पी(4)205/85-प0पा0---9755

बिहार सरकार,
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग,
(पशुपालन) ।

पटना-15, दिनांक 29 अक्टूबर, 85 ।

प्रेषक

श्री ए0के0मुखर्जी,
सरकार के विशेष सचिव ।

प्रेषित

महालेखाकार, बिहार,
पो0-हिनू, रांची/विस्कोमान भवन, पटना ।

× अनौपचारिक रूप से परामर्शित । × द्वारा - वित्त विभाग ।

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य पशुचिकित्सा परिषद् की स्थापना की योजना की स्वीकृति (नई प्लान योजना) ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि राज्य सरकार का अभिमत है कि इस योजना का कार्यान्वयन 1985-86 वर्ष से किया जाय/ [परन्तु 36 माह ... का भुगतान नहीं किया जाय/ अतएव राज्य सरकार] यह निर्णय लिया है कि मौजूदा संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) पशुपालन विभाग को ही इस कार्य का प्रभारी बनाया जाय और इस कार्य के अतिरिक्त बोझ के लिए उन्हें 200=00 (दो सौ रुपये) प्रतिमाह की दर से परिषद भत्ता दिया जाय । इस प्रकार 1985-86 वर्ष में मात्र 1200=00 (बारह सौ रुपये) की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2- व्यय का विकलन बजट शीर्ष "310-पशुपालन-अन्य पशुधन विकास-केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना-पशुचिकित्सा परिषद" से होगा । 1985-86 के बजट में फिलहाल उपबंध नहीं है । व्यय की गयी राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार एवं 50 प्रतिशत व्यय-भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायगा । भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या- 23-132/85-एल0डी0टी0 (एल0एच0एस0) दिनांक 27-3-85 के जरिये 0.20लाख रुपये की विमुक्ति की जा चुकी है ।

[हाशिये पर हस्तलिखित: व्यय प्रभार अनुपूरक पारित होने के पश्चात किया जायेगा]

3- इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) पशुपालन विभाग होंगे । निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इस योजना के सर्वोपरि नियंत्रण निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे ।

4(क)- वित्त विभाग के पत्र संख्या-5409वि0(2) दिनांक 28-8-85 के अनुसार महालेखाकार, बिहार, रांची से अनुरोध है कि वेतन एवं भत्ते को छोड़कर अन्य मदों से संबंधित व्यय के लिए राशि की विमुक्ति निम्न किस्तों में करने के लिए प्राधिकृत किया जाय -

1) 40 प्रतिशत 30 सितम्बर तक
2) 25 प्रतिशत अतिरिक्त 31 दिसम्बर तक
3) शेष 35 प्रतिशत 1 जनवरी से 31 मार्च तक ।

4(ख)- सृजीकृत किये जा रहे नये पदों को गैर योजना में उपलब्ध पदों के धारकों से भरा जायगा एवं गैर-योजना के पदों को abeyance में रखा जायगा यदि यह संभव नहीं हो सका तो वित्त विभाग की सहमति से नये पदों को बाहरी व्यक्ति से भरने का निर्णय संसूचित करने के पश्चात् ही नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाते हुए पदों को भरा जाएगा ।

5- यदि केन्द्र चालित या केन्द्र प्रायोजित योजना/स्कीमों में राज्य सरकार के हिस्से की राशि केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त राशि के समतुल्य या ऊपर अंकित प्रतिशत जो भी कम हो के अनुपातिक विमुक्त की जाय । केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्ति की सम्पुष्टि होने के पश्चात् ही इस तरह की स्कीमों से संबंधित राज्यादेश में सहमति दी जाय ।

6- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं संसदीय विभाग के संकल्प संख्या-1048 दिनांक 22-6-85 द्वारा गठित अधिकृत समिति द्वारा इस योजना स्कीम में सहमति प्रदान की गयी है ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 9755 पटना-15, दिनांक 29 अक्टूबर, 85 ।

प्रतिलिपि अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग/योजना एवं बजट शाखा/ योजना विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव ।

क्रमशः-//--3--

//-3-//

ज्ञाप संख्या- 9755 पटना-15, दिनांक 29 अक्टूबर, 85 ।

प्रतिलिपि अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, कृषि विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि भारत सरकार के अंशदान की शेष राशि कृपया शीघ्र विमुक्त की जाय ।

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 9755 पटना-15, दिनांक 29 अक्टूबर, 85 ।

प्रतिलिपि निदेशालय के सभी पदाधिकारियों/विभाग के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/योजना से संबंधित सभी अधीनस्थ पदाधिकारी/निदेशालय के सभी सहायक एवं सांख्यिकी कर्मचारी/10 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सांख्यिकी इकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

संयुक्त निदेशक, योजना एवं परि0 ।

29/X/85